प्रैस विज्ञप्ति --- दिनांकः 15.09.2020

12 घण्टे के अन्दर थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत शहजाद के साथ घटित लूट की घटना का खुलासा, घटना में संलिप्त 03 अभियुक्त लूटे गये 1,65,000 रूपये, घटना में प्रयुक्त स्कूटी, ई-रिक्शा एवं अवैध असलहा मय कारतूस सहित गिरफ्तार

दिनांक 14.09.20 को थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र कांवरा निवासी औरंगजेब पुत्र माहिर अली द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी कि वह अपने भतीजे शहजाद पुत्र फरहत अली के साथ अपने गांव कांवरा से बाइक से सिकन्द्राबाद जा रहे थे, बाइक शहजाद चला रहा था जिसके कंधे पर एक बैग लटका था जिसमें **2,18,000 रूपये** थे। जैसे ही समय करीब प्रातः 09.20 बजे वह लोग शराब के ठेके से 100 मीटर रजवाहे की पटरी पर पहुंचे तभी पीछे से एक स्कूटी पर सवार दो अज्ञात बदमाश आये और उनकी बाइक के आगे अपनी स्कूटी लगाकर शहजाद के कंधे पर लटके बैग को छीनने लगे। शहजाद द्वारा विरोध किए जाने पर बदमाश शहजाद के माथे पर तमंचे की बट से वार कर रूपयो का बैग छीनकर फरार हो गये। घटना के संबंध में वादी औरंगजेब की तहरीर के आधार पर थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-699/20 धारा 394 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सिकन्द्राबाद श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 15.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक सिकन्द्राबाद मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति-व्यवस्था संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों एवं तलाश वांछित अपराधी की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उपरोक्त लूट की घटना को अंजाम देने वाले सभी बदमाश सिरोधन रोड़ ललित यादव की ट्यूवैल के पास एकत्रित होकर लूटे गये रूपयो का बंटवारा कर रहे है। इस सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए प्रभारी निरीक्षक सिकन्द्राबाद मय पुलिस टीम के मुखबिर द्वारा बताये स्थान ललित यादव की ट्यूवैल के पास पहुंचकर घेराबन्दी कर समय करीब प्रातः 11.50 बजे मौके से तीन अभियुक्तों को लूटी गयी धनराशि व अवैध असलहा एवं घटना में प्रयुक्त स्कूटी, ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया कि उपरोक्त घटना को अंजाम देने में उनके साथ दो और अन्य साथी शामिल थे जो अपने हिस्से का पैसा लेकर मौके से थोड़ी देर पहले चले गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- लाखन पुत्र बृजपाल निवासी मौ0 रुई का पेंच (पत्थरवाडा) कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर।

2- अमित पुत्र ब्रहम सिंह निवासी ग्राम खगुआ बास की मढ़ैया थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर।

3- नूरू उर्फ नूर मौहम्मद पुत्र बाबू निवासी मौ0 शेखवाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरण-

1. लूटी गयी धनराशि मे से 1,65,000 रूपये।
2. घटना में प्रयुक्त स्कूटी व ई-रिक्शा
3. 02 तंमचे 12 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस व एक चाकू।

गिरफ्तार अभियुक्तों से हुई पूछताछ/छानबीन से ज्ञात हुआ कि मजरूब शहजाद डेयरी पर दूध सप्लाई करने का काम करता है तथा अभियुक्त लाखन ई-रिक्शा से पशुओं के लिए कुट्टा सप्लाई का कार्य करता है जिस कारण लाखन, शहजाद की गतिविधियों से परिचित था इसलिए लाखन द्वारा शहजाद से रूपये लूटने की योजना बनायी। योजना में अपने साथ अमित व नूरू उर्फ नूर मौहम्मद उपरोक्त सहित दो अन्य लोगो को शामिल किया। दिनांक 14.09.20 को जब शहजाद अपने चाचा औरंगजेब के साथ रूपये लेकर सिकन्द्राबाद जा रहा था तो लाखन व अमित स्कूटी से उनका पीछा कर रहे थे तथा नूरू उर्फ नूरमौहम्मद व फरार दोनों अभियुक्त ई-रिक्शा से उनकी रैकी कर रहे थे। जैसे ही शहजाद व उसका चाचा रजवाहे की पटरी पर पहुंचे तभी लाखन व अमित द्वारा तंमचे से शहजाद के माथे पर चोट पहुंचाकर रूपये लूटकर फरार हो गये थे। फरार दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद।
2. उ0नि0 रामकुमार, उ0नि0 अनोखेपुरी
3. का0राहुल, का0अशोक कुमार, का0माधव, का0अरूण, का0पंकज, का0नीशू, का0वीरपाल, का0चालक राहुल।